Re

प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

महत्वपूर्ण / ग्राम पंचायत पुनर्गठन
तृतीय परिपत्र

सेवा में,

समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः– 4 / 491(2) / 2014–4 / 70 / 2014 लखनऊः दिनांकः 23 सितम्बर, 2014

विषयः– ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन / परिसीमन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के समविषयक परिपत्र संख्या–4 / 491 / 2014–4 / 70 / 2014, दिनांक 22 अगस्त, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत शासनादेश संख्या–1992 / 33–3–2014–03रा0नि0आ0 / 14, दिनांक 16 अगस्त, 2014 में दी गई व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन / परिसीमन किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उक्त शासनादेश दिनांक 16 अगस्त, 2014 में ग्राम पंचायत के पुनर्गठन / परिसीमन के सम्बन्ध मे प्रार्थना पत्र प्राप्त किये जाने हेतु दिनांक 25 अगस्त, 2014 से 15 सितम्बर, 2014 तक एवं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों / प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण हेतु दिनांक 30 सितम्बर, 2014 तक समयसारिणी निर्धारित की गयी है।

उक्त क्रम में ग्राम पंचायत पुनर्गठन / परिसीमन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर ई–मेल के माध्यम से दिनांक 24 सितम्बर, 2014 तक निदेशालय को सूचना की आवश्यकता है :–

क्र. सं.	दिनांक 15 सितम्बर, 2014 तक ग्राम पंचायत पुनर्गठन / परिसीमन हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों / प्रस्तावों की संख्या	प्राप्त प्रार्थना–पत्रों / प्रस्तावों के सापेक्ष सम्पादित जांचों की संख्या	प्राप्त प्रार्थना–पत्रों / प्रस्तावों के निस्तारण हेतु जनपद स्तर पर समिति की बैठक हेतु निर्धारित तिथि
1	2	3	4

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार कृत कार्यवाही की सूचना विलम्बतम् दिनांक 24 सितम्बर, 2014 अपराह्न 2.00 बजे तक ई–मेल के माध्यम से निदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

25.9.14

(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।